बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :– 2 अ0प्र0–1–39/2016 18 /पटना, दिनांक :– 30.3.22

श्री छोटु प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, नवादा अंतर्गत कोरिहारी नदी पर पुल निर्माण के डी0पी0आर0 में आवश्यकता से अधिक लम्बाई का प्रावधान करने एवं सरकारी राशि का अपव्यय करने के आरोप में कार्यालय आदेश सं0–108 दिनांक 06.04.2016 द्वारा निलंबित करते हुए आरोप पत्र गठित कर कार्यालय आदेश संख्या–110 दिनांक 06.04.2016 द्वारा मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 5794 अनु० दिनांक 02.09.2016 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद को कार्यालय आदेश सं0–11– सह–पठित ज्ञापांक 470 दिनांक 07.03.2018 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (vii) के तहत कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित की गयी। इस प्रकार श्री प्रसाद दिनांक 06.04.2016 से दिनांक 06.03.2018 तक निलंबित रहे।

अतः उक्त के आलोक में श्री छोटु प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के निलंबन अवधि दिनांक 06.04.2016 से 06.03.2018 को इस रूप में विनियमित किया जाता है कि निलंबन अवधि के लिए श्री प्रसाद को जीवन यापन भत्ता के अलावा अन्य कोई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा, किन्तु निलंबन अवधि की गणना पेंशन परियोजनार्थ की जायेगी।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2 अ0प्र0–1–39/2016 702 /पटना, दिनांक :– 30.3.22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

702_____ 30.3.22 (2)

ज्ञापांक :— 2 अ0प्र0—1—39/2016 702 /पटना, दिनांक :— 30.3.22

प्रतिलिपि :— सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा/प्रशाखा पदाधिकारी—4, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर/श्री छोटु प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/22

अभियंता प्रमुख